

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक- 22/4/2020

विषय- COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में छड़, सीमेन्ट, गिट्टी आदि के गोदाम एवं दुकान खोलने की अनुमति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु लॉकडाउन की अवधि दिनांक-03.05.2020 तक विस्तारित की गयी है। उक्त क्रम में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-40-3/2020-DM-1(A), दिनांक-15.04.2020 द्वारा विस्तृत निदेश निर्गत किए गए हैं, जिसकी प्रतिलिपि आपको इस कार्यालय के पत्रांक-2201, दिनांक-15.04.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

गृह विभाग के वर्णित पत्र की कंडिका-16 के अनुसार दिनांक-20.04.2020 के प्रभाव से कतिपय निर्माण कार्य गतिविधियों को चालू करने की अनुमति के संबंध में निदेश इस प्रकार है:-

- construction of roads, irrigation projects, buildings and all kind of industrial projects, including MSMEs, in rural areas, i.e., outside the limits of municipal corporations and municipalities; and all kinds of projects in industrial estates.
- Construction of renewal energy projects.
- continuation of works in construction projects, within the limits of municipal corporations and municipalities, where workers are available on site and no workers are required to be brought in from outside (in situ construction).

उक्त के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-20.04.2020 को आयोजित Crisis Management Group की बैठक में निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाली निर्माण सामग्रियों यथा-छड़, सीमेन्ट, गिट्टी आदि का Supply chain बरकरार रखने हेतु जिलाधिकारी Case to Case basis पर समीक्षा कर शहरों में अवस्थित इन सामग्रियों के गोदामों/प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार निर्णय लेंगे एवं खोलने की अनुमति देंगे।

अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनुसन्धक-यथोक्त।

21/4/2020

विश्वासभाजन
21/4
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।